

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

E_mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax - 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ ४९३९

दुर्ग,दिनांक: ३१ /12/2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(मू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for the purpose of 765 KV D/C Raipur-Rajnandgaon-Warora Transmission Line, Area- 10.0555 ha. Regarding.
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/TRANS/18792/2016.

संदर्भ :- वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का पत्र क्र./मा.चि./39/13969 दिनांक 19.12.2016 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 29/12/2016)

^ ^ ^

विषयांतर्गत निवेदन है कि, वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो मूलतः 04 प्रतियों में इस कार्यालय द्वारा जारी भाग-3 सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ ४९५०

दुर्ग,दिनांक: ३१ /12/2016

प्रतिलिपि :- वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

३१/१२/२०१६

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

-NA-

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

Yes

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

Recommended for sanction

हस्ताक्षर

मुख्य सचिव (पर्यावरण)
भारत सरकार (नई दिल्ली)

सरकारी मोहर

दिनांक:-

स्थान:-